न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट शिविर, ग्राम पं. चँदवाजी

निर्णय दिनांक 16.05.16

वाद सं. 232/2013

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश चौधरी
(आर.ए.एस.)

मं. श्री सीताराम जी जरिये अध्यक्ष श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. गिरधारीदास ग्राम चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर
— वादी

बनाम

1. राधाकृष्ण दत्तक पुत्र बद्रीनारायण
2. सत्यनारायण
3. कैलाशचन्द
4. राजेन्द्र प्रसाद
5. गजानन्द
6. मुकेश

पुत्रान मांगीलाल

7. इन्द्र पुत्र भूरजी
समस्त जाति पुरोहित, निवासी ग्राम चन्दवाजी तहसील - आमेर जिला - जयपुर
8. तहसीलदार, तहसील आमेर जिला - जयपुर
— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी द्वारा कथन
किया है कि ग्राम जयसिंहनगर, तहसील आमेर जिला ज
के खसरा नम्बर 7/349, 8, 9 कुल खसरा किता 3 क
... खातेदार मन्दिर श्री सीताराम जी

मु. सीताराम बनाम राधाकृष्ण व अन्य
मु.नं. 232/13

कि विवादित भूमि है से कोई सम्बन्ध नहीं है। पड़ौसी सींवजो
काश्तकार है। जो कि मन्दिर की खातेदारी की उक्त आराजी की
सींव का अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा है। उक्त
खसरा नम्बरान के सींव पर 5 फुट ऊँची डोल पूर्व से बनी
हुई है। प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि के उत्तरी, पश्चिमी, द
सीमा की डोल तोडकर अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा
वाद अधीन आराजी मन्दिर की खातेदारी भूमि है मूर्ति मन्दि
शाश्वत नाबालिग है इनकी खातेदारी भूमि की सीमा प
अतिक्रमण करना अवैधानिक है ऐसी अवस्था में प्रतिवादीग
को दावा हाजा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अत
प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे
वे वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 7/349, 8, 9 की सी
का अतिक्रमण नहीं करे तथा पूर्व से बनी कच्ची डोल
नहीं तोडे व निर्माण नहीं करें।

वाद पत्र के जवाब हेतु प्रतिवादीगण को नोटि
जारी किए गए। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर
एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। जिसके क्रम
अग्रिम कार्यवाही के लम्बित रहते लोक अदालत शिविर आ
होने से पक्षकारान को पुन: सुनवाई का अवसर देते हुए लो
अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नोटिस जारी किए।
उभयपक्षकारान उपस्थित हुए।

हमने उभयपक्षकारान को सुना। पत्रावली का
पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान को सुनने व पत्रा
के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण का
जयसिंहनगर तह. आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि खस
7/349, 8, 9 से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। उभयपक्ष
को सुनने से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वि

मं. सीताराम बनाम राधाकृष्ण व अन्य

मु. नं. 232/13

खसरा नम्बर 7/349, 8, 9 से बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम जयसिंहनगर तह. आमेर स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 7/349, 8, 9 कुल खसरा किता-3 कुल रकबा 0.82 है. पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर